

आदेश

विषय:-स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रीमियम राशि के संबंध में।

स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रीमियम राशि के संबंध में बिन्दुवार विवरण निम्नलिखितानुसार है-

(1) राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत वर्तमान में स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा योजना का विकल्प लेने पर कार्मिकों को सीजीएचएस की तर्ज पर केशलेस इनडोर, डे-केयर चिकित्सा एवं आउटडोर की सुविधा प्रदान की जा रही है। उक्त योजना के अन्तर्गत 5.00 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार चिकित्सा एवं गंभीर बीमारियों के ईलाज के पेटें अतिरिक्त 5.00 लाख (4.80 लाख, आईपीडी एवं 20,000, ओपीडी) का लाभ दिया जा रहा है। RGHS के लिए अंशदान रुपये 6100/- (वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु) प्रति कार्मिक प्रति वर्ष फैमिली फ्लोटर बेसिस पर देय है एवं यह अंशदान संस्थान से एक मुश्त (एक वर्ष के लिए) लिया जा रहा है। सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए एकमुश्त राशि रुपये 61000/- (वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु) जमा कराने के पश्चात् योजना का लाभ जीवनपर्यन्त प्रदान किया जा रहा है।

वित्त विभाग (नियम अनुभाग) के पत्रांक प.6(10)वित्त नियम/2021 पार्ट दिनांक 10.02.2022 के अनुसार दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त आरजीएचएस कार्ड धारक कार्मिकों को वर्तमान में 20,000/- तक आउटडोर चिकित्सा सुविधा देय है। इन कार्मिकों हेतु भी संलग्न परिशिष्ट 1 के अनुसार गंभीर बीमारियों जो IRDA के परिपत्र क्रमांक IRDA/HLT/REG/CIR/146/07/2016 DATED 29-07-2016 में उल्लेखित बीमारियों हेतु आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने पर आरजीएचएस के अन्तर्गत निम्न तालिका अनुसार वित्तीय सीमा और सक्षम स्तर निर्धारित किये जाते हैं।

क्र. स.	सक्षम स्तर	अतिरिक्त राशि वृद्धि
1	निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा. निधि विभाग, जयपुर	रु. 2.00 लाख तक।
2	प्रशासनिक विभाग- वित्त (बीमा) विभाग	रु. 2.00 लाख से अधिक एवं रु. 5.00 लाख तक।
3	वित्त (बजट) विभाग	रु. 5.00 लाख से अधिक एवं 10.00 लाख तक।

स्वायत्तशासी संस्थाओं के आरजीएचएस कार्ड धारकों को भी वित्तीय वर्ष 2022-23 में आउटडोर चिकित्सा एवं उपचार हेतु उक्त सारणी के अनुसार सुविधा प्रदान की जावेगी। योजना के अन्तर्गत 5.00 लाख प्रति वर्ष प्रति परिवार चिकित्सा एवं गंभीर बीमारियों के ईलाज के पेटें अतिरिक्त 5.00 लाख का लाभ प्रदान किया जावेगा। अतः आरजीएचएस के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष हेतु गंभीर बीमारियों में आईपीडी तथा ओपीडी उपचार के पेटें अधिकतम राशि रूपयें 10 लाख तक का लाभ देय है। वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों को उक्त सुविधा प्रदान करवाने के लिए अंशदान रूपये 10,500/- प्रति कार्मिक प्रति वर्ष फ़ैमिली फ़्लोटर बेसिस पर देय होगा एवं यह अंशदान एक मुश्त (एक वर्ष के लिए) देना होगा।

(2) वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए भी उक्त सुविधा हेतु एकमुश्त राशि रूपये 1,05,000/- जमा कराने के पश्चात् योजना का लाभ जीवनपर्यन्त मिलता रहेगा।

(3) स्वायत्तशासी संस्थाएं अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को आरजीएचएस सुविधा का लाभ प्रदान करवाने हेतु समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रीमियम राशि एक समय में एकमुश्त जमा करवाया जाना सुनिश्चित करावें। स्वायत्तशासी संस्थाओं में नवनियुक्त कर्मचारियों को ही संस्थान हेतु जारी आरजीएचएस सुविधा अवधि के मध्य में शामिल किया जा सकेगा।

(4) स्वायत्तशासी संस्थान जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 से आरजीएचएस सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा रहा है, उन संस्थाओं द्वारा आउटडोर चिकित्सा एवं उपचार हेतु उक्त सारणी के अनुसार सुविधा लेने हेतु अंतर राशि रूपयें 4400/- (सेवारत कार्मिकों हेतु) एवं अंतर राशि रूपयें 44,000/- (सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु) जमा करवाने के पश्चात् उक्त सुविधा का लाभ प्रदान किया जावेगा। (अंतर राशि अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि - वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु निर्धारित प्रीमियम राशि)


(5) स्वायत्तशासी संस्थान जिनमें कार्मिकों के वेतन का भुगतान PAYMANAGER/PRI-PAYMANAGER के द्वारा किया जाता है, वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कार्मिकों को आरजीएचएस सुविधा प्रदान कराने हेतु प्रीमियम राशि वेतन से कटौती (एकमुश्त) कर शेड्यूल की प्रति मय वांछित सूचना प्रारूप में इस कार्यालय को भिजवायें। स्वायत्तशासी संस्थान जिनमें कार्मिकों के वेतन का भुगतान ऑफलाइन किया जाता है, वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कार्मिकों को आरजीएचएस सुविधा प्रदान कराने हेतु प्रीमियम राशि ई-ग्रास चालान के माध्यम से आरजीएचएस बजट मद 8342-00-120-(69)-(00) (OFFICE:- 36829- PROJECT DIRECTOR, RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH SCHEME, SIFP, JAIPUR, DDO CODE- 36829) में जमा करवाकर चालान की प्रति एवं कार्मिकों की सूचना निम्नांकित प्रारूप में (सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी) इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें।

S.N.	SSO ID*	NAME*	RGHS CARD NO.*	UNIQUE ID	PPO	D.O.B.*	D.O.J.*	D.O.R.*	DESIGNATION	BASIC PAY*	SERVICE STATUS (SERVING/PENSIONER)*	MOB.*

(6) स्वायत्तशासी संस्थानों में राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पे-स्लेब के अनुसार आरजीएचएस की कटौती कर प्रीमियम राशि ई-ग्रास चालान के माध्यम से आरजीएचएस बजट मद 8342-00-120-(69)-(00) (OFFICE:- 36829- PROJECT DIRECTOR, RAJASTHAN GOVERNMENT HEALTH SCHEME, SIPF, JAIPUR, DDO CODE- 36829) में जमा करवाकर चालान की प्रति एवं कार्मिकों की सूचना निम्नांकित प्रारूप में (सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी) प्रति माह के प्रथम 10 कार्यदिवस तक इस कार्यालय को भिजवाने का श्रम करें।

S.N.	EMPLOYEE ID*	NAME*	RGHS CARD NO.*	DESIGNATION	BASIC PAY*	DEDUCTION MONTH	DEDUCTION AMOUNT	GRN NO./DATE


निदेशक महोदया का अनुमोदन प्राप्त है।


 (शिप्रा विक्रम)
 परियोजना निदेशक(RGHS)
 वित्त भवन, जयपुर

क्रमांक:- F-1(258)/RGHS/SAB LETTER / 21-22 / 1440-1443 दिनांक:- 24-03-2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ व अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर राजस्थान को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग सचिवालय, जयपुर।
3. सक्षम प्राधिकारी, समस्त स्वायत्तशासी संस्थान।
4. आईटी विंग, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर को आदेश की प्रति भेजकर लेख है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वायत्तशासी संस्थाओं के कार्मिकों हेतु अपडेट किये गये सभी ई- वॉलेट में ओपीडी लिमिट राशि रूपयें 20,000 से सील (LOCK) करने का श्रम करें।


 (सुरेश कुमार मीना)
 संयुक्त परियोजना निदेशक(RGHS)
 वित्त भवन, जयपुर

गंभीर बीमारियां जो IRDA के परिपत्र क्रमांक IRDA/HLT/REG/CIR/146/07/2016 dated 29.07.2016 में उल्लेखित हैं, में कोरोना एवं ब्लैक फंगस को भी सम्मिलित करते हुए, निम्नानुसार होंगी :

- Coronary Artery Diseases (Angioplasty, Heart Attack, Heart Valve Surgery, Surgery of Aorta, Cardiomyopathy, PTCA)
- Cancer of Specified Severity
- Chronic Lung Disease and Acute respiratory disease
- Chronic Liver disease
- Kidney failure
- Major organ transplant (i.e Kidney, Lungs, Liver, Bone marrow transplantation)
- Apaillic Syndrome
- Benign Brain Tumour, Brain Surgery
- Coma
- Major Head Trauma
- Permanent Paralysis of limbs
- Strokes resulting in permanents symptom
- Multiple sclerosis with persisting symptom
- Muscular Dystrophy
- Parkinsons Disease
- Loss of limbs
- Meningitis
- Major burns
- Aplastic Anaemia
- Alzheimer' Disease
- Poliomyelitis
- COVID
- Black Fungus
- Hodgkin's disease
- Any other disease decided by Govt.

Prasanna